न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 01/2021
GCMS Case Reg. 2021/34

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

श्री राजीव पिता ताराचन्द कोठारी निवासी रातीतलाई बॉसवाडा –प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित –

1. तहसीलदार बॉसवाडा — प्रार्थी
2. श्री हिरालाल जैन — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– ....

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बॉसवाडा के हाल खसरा संख्या 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा का मूल खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 बिघा सेटलमेंट खसरा वर्ष 1997 में श्रीसरकार नदी दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2000–2003 में खसरा संख्या 2503/1394 रकबा 1.04 बिघा किस्म नदी जो गोवन पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2004–2007 में खसरा संख्या 2503/1394 रकबा 1.04 बिघा किस्म नदी गोवन पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2016–2020 में उक्त खसरा संख्या 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा किस्म का कॉलम खाली होकर गोवनजी पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। संवत् 2022–2025 खसरा गिरदावरी में किस्म का कॉलम खाली होकर गोवनजी पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। उक्त खसरो में आवंटन संबंधी किसी प्रकार का नोट नही है।

मौजा बॉसवा[illegible] संवत् 2026–2029 में सीधा खसरा गिरदावरी से जमाबन्दियो के खाता [illegible] कुम्हार के नाम दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में आवंटन सम्बन्धि[illegible] 2503/1394 रकबा [illegible] बिघा की किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का.क दर्ज है। किस्म परिवर्तन सम्बन्धित नोट का अंकन नही है। जो आज तक किस्म का.क दर्ज है।

ग्राम बॉसवाडा के नामान्तरण सं. 625 दिनांक 12.08.1983 वसीयत से उक्त खसरा नाथी पत्नि लालु, लालु पिता हरजी कुम्हार साकिन देह के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 1265 दिनांक 31.10.1994 से जरिये बेचान से खसरा संख्या 2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा समीर खॉ पिता आगा खॉ मुस्लिम व श्रीमती कुदसारिया सुल्ताना पत्नि आगा खॉ मुसलमान साकिन पृथ्वीगंज के नाम तथा उसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 4750 दिनांक 02.11.2018 बेचान से उक्त खसरा राजीव पिता ताराचंद कोठारी निवासी रातीतलाई बॉसवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ जो आज दिनांक तक दर्ज रेकार्ड है। उक्त खसरा संख्या 2503/1394/1 की शुद्धि पत्र से 4068/2503/1394/1 दर्ज किया है। वर्तमान में ग्राम बॉसवाडा में जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2074–77 में प्रश्नगत खसरा संख्या 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा भूमि श्री राजीव पिता ताराचंद कोठारी निवासी रातीतलाई बॉसवाडा के नाम दर्ज है।

भूमि की किस्म नदी होने के कारण वर्जित किस्म की भूमि ग्राम बॉसवाडा के खसरा नंबर 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा को पूर्णतः विधि विरुद्ध तरिके से खातेदारी के रुप में दर्ज कर दी गई है।

अतः रेफरेंस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर प्रश्नगत खसरा नंबर 4068/2503/1394/1 कृषि भूमि खातेदार के नाम से निरस्त कर श्रीसरकार दर्ज किये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिरालाल जैन श्री भूषण जैन एवं श्री नीरज पटेल का अभिभाषक पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक 10.12.2021 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार बॉसवाडा के प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2020 में खसरा नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा किस्म के [illegible] खाली होना बताया है, और उसमें किस्म नदी होना नही है। प्रथम जमाबन्दी संवत् 2026 से [illegible] में खाता सं. 12 पर सरकार द्वारा व राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी में अंकन सम्बन्धित नोट अंकित नही किया गया है, जिसके लिये पूर्व अथवा वर्तमान खातेदार कृषक को जिम्मेदार नही बनाया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सर्वे नं. 2053/1394 की रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म काबिल काश्त दर्ज है और उसे नदी मानने का काई कानूनन आधार तहसीलदार को नहीं है। तहसील क्षैत्र बांसवाडा में नया भू प्रबंध नहीं होने से पुराने बन्दोबस्त के नम्बर उपयोग में लिए जा रहे है, वह गलत है। क्योंकि उक्त भूमि की जमाबंदी 2026 से 2029 में खातेदार कृषक गोवनजी पिता अमरजी कुम्हार का नाम दर्ज है और उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म काबिल काश्त इन्द्राज किया हुआ है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार मौजा बांसवाड़ा राजस्व नक्षों अनुसार वाड़िया कॉलोनी के उत्तर–पश्चिम खेल स्टेडियम में नदी अस्तित्व में नही होकर बहाव क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान खेल स्टेडियम के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित खसरा नं. 2503/1394 व 4068/2503/1394 में कृषि कार्य किया जाता है तथा नदी का बहाव क्षैत्र नहीं है। खेल स्टेडियम के आस–पास आबादी क्षैत्र है। इस प्रकार राजस्व नक्षों एवं मौके की वास्तविक स्थिति में विरोधाभास है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट की नकल संलग्न है। सर्वे नम्बर 4068/2503/1394/1 रकबा 04 बीघा कृषि भूमि वाके बांसवाडा स्थित को श्री समीर खां पिता आगा खां व श्रीमती कुदसिया पत्नि श्री आगा खां निवासीयान पृथ्वीगंज बांसवाडा से फर्दन–फर्दन दस्तावेज विक्रय पत्रो के द्वारा कीमतन क्रय की गई तथा उक्त कृषि का रिक्त कब्जा समीर खां व अन्य ने अप्रार्थी राजीव कोठारी को सुपुर्द कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि कभी भी नदी या नाले की भूमि नहीं रही है उक्त भूमि वर्षो से किस्म काली कदीम तथा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु काम में आने वाली भूमि रही है तथा उक्त भूमि में वर्षो से काश्त होती चली आ रही है। इस भूमि के संबंध में आप न्यायालय में पूर्व में भी धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांसवाडा ने पेश किया था और उस प्रार्थना पत्र का मुकदमा नं. 5/18 है और उसका निर्णय दिनांक 28.08.1019 को पारित किया है उस प्रकरण में आप न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि राजस्व नक्षे व मौके की वास्तविक स्थिति में विरोधाभास है, ऐसी स्थिति में रेफरेंस का यह प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में विद्वान तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। नामांतरकरण संख्या 4930 दिनांक 05.04.2021 में बताए आदेश से उक्त खसरा नं. की भूमि 4 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि खेल स्टेडियम हेतु पृष्ठांकन किया गया है और प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल के अनुसार भी विद्वान तहसीलदार साहब ने उसे नदी मानकर जो प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया है, वह काबिल निरस्ती है। अतः प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त कराना फरमावें।

दिनांक 18.02.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई।

तहसीलदार बॉसवाडा की ओर से कथन किया गया कि मौजा बॉसवाडा के हाल खसरा संख्या 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा का मूल खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 बिघा सेटलमेंट खसरा वर्ष 1997 में श्रीसरकार नदी दर्ज है। भूमि की किस्म नदी होने के कारण वर्जित किस्म की भूमि ग्राम बॉसवाडा के खसरा नंबर 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा को पूर्णतः विधि विरुद्ध तरिके से खातेदारी के रुप में दर्ज कर दी गई है। अतः रेफरेंस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर प्रश्नगत खसरा नंबर 4068/2503/1394/1 कृषि भूमि खातेदार के नाम से निरस्त कर श्रीसरकार दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा बहस प्रस्तुत की गई। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार बॉसवाडा के प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2020 में खसरा नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा किस्म के कॉलम को खाली होना बताया है, और उसमें किस्म नदी होना नही है। वर्तमान खेल स्टेडियम के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित खसरा नं. 2503/1394 व 4068/2503/1394 में कृषि कार्य किया जाता है तथा नदी का बहाव क्षैत्र नहीं है। खेल स्टेडियम के आस–पास आबादी क्षैत्र है। सर्वे नम्बर 4068/2503/1394/1 रकबा 04 बीघा कृषि भूमि वाके बांसवाडा स्थित को श्री समीर खां पिता आगा खां व श्रीमती कुदसिया पत्नि श्री आगा खां निवासीयान पृथ्वीगंज बांसवाडा से फर्दन–फर्दन दस्तावेज विक्रय पत्रो के द्वारा कीमतन क्रय की गई तथा उक्त कृषि भूमि का रिक्त कब्जा समीर खां व अन्य ने अप्रार्थी राजीव कोठारी को सुपुर्द कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि कभी भी नदी या नाले की भूमि नहीं रही है उक्त भूमि वर्षो से किस्म काली कदीम तथा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु काम में आने वाली भूमि रही है तथा उक्त भूमि में वर्षो से काश्त होती चली आ रही है। इस भूमि के संबंध में आप न्यायालय में पूर्व में भी धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांसवाड़ा ने पेश किया था उस प्रार्थना पत्र का मुकदमा नं. 5/18 है और उसका निर्णय दिनांक 28.08.2019 पारित किया है उस प्रकरण में आप न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि "राजस्व नक्षे व मौके की वास्तविक स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विरोधाभास है. ऐसी स्थिति में रेफरेंस का यह प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।" अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में विद्वान तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। नामांतरकरण संख्या 4930 दिनांक 05.04.2021 में बताए आदेश से उक्त खसरा नं. की भूमि 4 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि खेल स्टेडियम हेतु पृष्ठांकन किया गया है और प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल के अनुसार भी विद्वान तहसीलदार साहब ने उसे नदी मानकर जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह काबिल निरस्ती है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

2021(1) आर.आर.टी 512, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, स्टेट बनाम भंवर कंवर व अन्य

2021(1) आर.आर.टी 215, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, स्टेट बनाम उदाराम

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नं. 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज थी। खसरा गिरदावरी संवत् 2000–2003 व खसरा गिरदावरी संवत् 2004–2007 में खसरा संख्या 2503/1394 रकबा 1.04 बिघा किस्म नदी गोवन पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। जबकि खसरा गिरदावरी संवत् 2016–2020 में उक्त खसरा संख्या 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा किस्म का कॉलम खाली होकर गोवनजी पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। संवत् 2022–2025 खसरा गिरदावरी में किस्म का कॉलम खाली होकर गोवनजी पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज है। जिसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 625 दिनांक 12.08.1983 से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से उक्त आराजी नाथी पत्नि लालु व लालु पिता हरजी कुम्हार के नाम दर्ज हुई। उसके उपरान्त नामान्तरण संख्या 1265 दिनांक 31.10.1994 से जरिये बेचान से खसरा संख्या 2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा समीर खॉं पिता आगा खॉं मुस्लिम व श्रीमती कुदसारिया सुल्ताना पत्नि आगा खॉं [illegible] साकिन पृथ्वीगंज के नाम तथा उसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 4750 दिनांक [illegible] बेचान से उक्त खसरा राजीव पिता ताराचंद कोठारी निवासी रातीतलाई बांसवाडा के नाम [illegible] रेकार्ड हुआ जो आज दिनांक तक दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी [illegible] 1394 किस्म नदी दर्ज थी तथा मौजा बॉसवाडा की प्रथम जमाबन्दी वर्ष सं 2026–29 में सीधा खसरा गिरदावरी से जमाबन्दियों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता सं. 12 पर गोविन्दजी पिता अमरजी कुम्हार के नाम दर्ज होकर उक्त खसरा नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बीघा की किस्म का.क दर्ज है जिस पर किस्म परिवर्तन सम्बन्धित नोट का अंकन नही है। जो बिना किसी आधार के विधि विरूद्व दर्ज किया गया है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 अनुसार भूमि की मूल किस्म नदी है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा प्रश्नगत खसरा संख्या 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बिघा भूमि श्री राजीव पिता ताराचंद कोठारी निवासी रातीतलाई बॉसवाडा के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस्त गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र तहसीलदार बॉसवाडा स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता को पाबन्द किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अप्रार्थी दिनांक 7/3/22 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18/2/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner